न्यायालय तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र–2210/2026

नोमान बनाम राज्य

साईबर शिकायत संख्या–23501260000517

थाना–क्लेमेन्टाउन, देहरादून

दिनांकः 27.06.2026

प्रार्थी नोमान मय विद्वान अधिवक्ता श्री मोनिश द्वारा होल्ड की गयी धनराशि मुब0 19,539.20/–रुपये को प्रार्थी के पक्ष में निर्मुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.06.2026 संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.11.2025 को प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर प्रार्थी के एस0बी0आई0 के क्रेडिट कार्ड, जिसकी प्रथम छः क्र0सं0 356178 व लास्ट चार संख्या 3512 कार्ड लेन्थ– 16 पंजीकृत मो0नं0 7060631563 से मु0 20,000/– रूपये अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर हो गये। प्रार्थी को तुरन्त ही साईबर ठगी का एहसास हुआ और प्रार्थी ने साइबर ठगी से हुई धनराशि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में साईबर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसकी साईबर शिकायत संख्या–23501260000517 है। यह कि शिकायत दर्ज होने के तुरन्त बाद ही प्रार्थी के खाते से निर्गत धनराशि में से मु0 19,417.97/– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 37046237161 में दिनांक 07.02.2026 को होल्ड कर लिये गये तथा बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा खाता संख्या 732610110003770 दिनांक 07.02.2026 को 121.23/– रूपये होल्ड कर लिये गये तथा मामले की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून भेज दिया गया। यह कि थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून ने प्रार्थी को यह बताया गया कि उक्त मु0 19,539.20/–रूपये उक्त बैंको में होल्ड है तथा प्रार्थी को उक्त धनराशि की आवश्यकता है। अतः थाने से आख्या तलब कर होल्ड धनराशि को प्रार्थी के पक्ष में निर्मुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की पासबुक की प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मोनिश को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाना–क्लेमेन्टाउन, देहरादून से आख्या तलब की गई जो कि अभिलेख पर संलग्न है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार, ''शिकायतकर्ता नोमान द्वारा 20.11.2025 ऑनलाईन धोखाधडी के सम्बन्ध में साईबर सैल मे शिकायत दर्ज करायी गयी जिसमें शिकायतकर्ता के साथ 20,000/– रूपये का फ्राड होना पाया गया था। तथा वर्तमान समय में शिकायतकर्ता के खाते से निर्गत धनराशि में से मु0 19,417/– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता

संख्या 37046237161 लेयर–3 में व मु0 121.23/– रूपये बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या 732610110003770 लेयर–4 कुल मु0 19,539.20/– शिकायतकर्ता के भिन्न–भिन्न खातों में लीन धनराशि होना ज्ञात है।''

6. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि थाना क्लेमेन्टाउन से प्राप्त आख्यानुसार उपरोक्त खातों में मुब0 19,539/–रुपये की धनराशि होल्ड किया जाना दर्शित किया गया है तथा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वयं के पक्ष में मुब0 19,539/–रुपये निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। **अतः प्रार्थी नोमान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तदानुसार पुलिस आख्या में वर्णित उपरोक्त खातों में मुब0 19,539.20/–रुपये की होल्ड धनराशि को प्रार्थी के पक्ष में उसके एस0बी0आई0 के खाता संख्या 37831411990 IFSC Code SBIN0003293 में मुब0 19,539.20/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि का एक जमानती एवं इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देने पर अन्तरिम रूप से अवमुक्त किया जाता है कि उपरोक्त धनराशि के सम्बन्ध में भविष्य में विवाद होने पर प्रार्थी मुब0 19,539.20/–रूपये न्यायालय में जमा करेगा।**

7. अतः सम्बन्धित बैंक के नोडल ऑफिसर/शाखा प्रबन्धक को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में होल्ड कुल धनराशि मुब0 19,539.20/–रुपये को प्रार्थी के **एस0बी0आई0 के खाता संख्या 37831411990 IFSC Code SBIN0003293** में अविलम्ब वापस करना सुनिश्चित करे।

8. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित बैंक के नोडल ऑफिसर्स/शाखा प्रबन्धक को भेजी जाये।

9. प्रकीर्ण पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(साहिस्ता बानों)
प्रभारी तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।